

अधिसूचना  
सं० 3/2015-सेवा कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा०का०नि० (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 42/2012-सेवाकर, तारीख 29 जून, 2012 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 520(अ), तारीख 29 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित हुई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है ।

[ फा०सं० 334/5/2015-टीआरयू ]

(अक्षय जोशी)  
अवर सचिव, भारत सरकार